रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 1983/आषाढ़ 3, 1905
No. 236] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 1983/ASADHA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1983

सं. 186/83-सीमाशुल्क

सा.का.नि.509(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भवन सामग्री को जब उनका भारत में किसी विदेशी मिशन या राष्ट्रमण्डलीय राजनयिक मिशन द्वारा नई दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित ऐसे मिशन के परिसरों पर अपने शासकीय भवनों के सन्निर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए —

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से,

(ख) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् —

(1) सामग्री का उपयोग, केवल मिशन के परिसरों पर शासकीय भवनों के सन्निर्माण के लिए किया जाएगा न कि किसी प्राइवेट भवन के सन्निर्माण के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए , और

(2) निकासी के समय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से ऐसा प्रमाणपत्र पेश किया जाता है जिसमें ऐसी भवन सामग्री को आयात करने के लिए अनुज्ञा दी गई हो और उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क से छूट देने की सिफारिश की गई हो ।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 1988 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 431/1/83-सी.शु. 4]

जैड. बी. नागरकर, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1983

No. 186/83—CUSTOMS

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts building materials when imported into India by any Foreign Mission, or Commonwealth Diplomatic Mission, in India, for construction of their official buildings on the premises of such Mission at Chankyapuri in New Delhi :—

(1) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(2) from the whole of the additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(i) the materials shall be used only for the construction of official buildings on the premises of the Mission and not for the construction of any private buildings or for any other purpose ; and

(ii) a certificate is produced from the Government of India in the Ministry of External Affairs at the time of clearance permitting the import of such building materials and recommending grant of exemption from duty of customs leviable thereon.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th June, 1988.

[No. 186/83-Cus./F. No. 431/1/83-Cus. IV]

Z. B. NAGARKAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983